



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

(A State Government undertaking)

Head Office: 5th floor, Kisan Bhawan, LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649, General

Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfesc@gmail.com

CIN : U63023RJ2010SGC033489

क्रमांक एफ 002() / साराखानाआनि / सूचना का अधिकार/विविध/2019/ दिनांक: 18/3/21
26736-769

समस्त जिला प्रबन्धक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.
..... (राजस्थान)।

विषय :- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर द्वारा सूचना का अधिकार पोर्टल बाबत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु।

प्रसंग :- प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) का पत्रांक प. 20(84)प्रसू/ सूअप्र/ 2009/पार्ट जयपुर दिनांक 23.11.2020


उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा चाही गई सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र A एवं B में MS Excel में आवश्यक रूप से निगम मुख्यालय को प्रेषित करावे। ताकि समस्त सूचना इकजाई कर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को शीघ्र भिजवायी जा सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

प्रबन्धक (कार्मिक)

D/deepak sharma/Rajendra ji - Letter head

149



संज्ञांक प. 20(64) प्रसू/सूअप्र/2009/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 23 नवम्बर, 2020

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन/अपील प्रस्तुत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर द्वारा RTI Portal (www.rti.rajasthan.gov.in) विकसित किया गया है। पोर्टल की प्रभावी क्रियान्विति के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 07.10.2020 के परिपत्र द्वारा जारी किए गए हैं। उक्त परिपत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।


परिपत्र के द्वारा राज्य के सभी राज्य लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को RTI Portal पर रजिस्टर किये जाने व पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों/अपीलों के साथ ही ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों/अपीलों को उक्त पोर्टल पर इन्द्राज किये जाने के लिए निर्देश दिये गये थे परन्तु अभी तक राज्य के अधिकतर विभाग RTI Portal से नहीं जुड़े हैं, जिससे पोर्टल विकसित करने के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है और राज्य के नागरिकों को ऑनलाईन आवेदन/अपील करने की सुविधा भी प्राप्त नहीं हो पा रही है।

विभागों द्वारा सन्दर्भित परिपत्र के साथ प्रेषित निर्धारित प्रपत्र A एवं B में MS Excel में लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों की सूचनाएं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को प्रेषित नहीं की गई है एवं कई विभागों द्वारा अपूर्ण सूचनाएं MS Word/PDF में प्रेषित की गई हैं, जिससे DOIT को ऐसे विभागों एवं लोक सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों को RTI Portal पर रजिस्टर करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। मेरे ध्यान में यह भी लाया गया है कि विभागाध्यक्षों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों/ जिला स्तरीय कार्यालयों की इकजाई सूचनाएं संकलित कर प्रेषित नहीं की गई हैं एवं विभागों में नियुक्त नोडल अधिकारी की सूचना भी पूर्ण रूप से DOIT को नहीं भेजी गई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य के समस्त विभागों को RTI Portal पर रजिस्टर करने एवं ऑनलाईन व्यवस्था दिनांक 31.12.2020 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

निरन्तर.....2


अतः राज्य के समस्त विभागों के लोक प्राधिकारी/अपीलीय अधिकारी एवं उनके नियंत्रणाधीन कार्यालय/निगम/बोर्ड/आयोग एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के लोक सूचना अधिकारियों जिन्हें पदाभिहित/अभिहित किया गया है, को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना विवरण/सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र A एवं B में MS Excel में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर को दिनांक 30.11.2020 से पूर्व E-Mail- rti.helpdesk@rajasthan.gov.in (Contact No. - 01412921314) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित कर इस विभाग की ईमेल dsrtiar@gmail.com पर भी अवगत करावें। इस सम्बन्ध में समस्त प्रशासनिक सचिव भी अपने स्तर से भी अधीनस्थ विभागों/निगम/बोर्ड/आयोग को समस्त लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों की सूचना निर्धारित प्रपत्रों में MS Excel में DOIT को भिजवाने हेतु निर्देश जारी करें। RTI Portal के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसका DOIT द्वारा तत्काल निदान किया जाएगा।



(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान (कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालय/निगम/बोर्ड/
7. समस्त सभागीय आयुक्त (में आयोग एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं को
8. समस्त जिला कलक्टरर्स (RTI Portal पर रजिस्टर करने के सम्बन्ध आवश्यक निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
9. आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
10. SA(Jt.) संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।



प्रमुख शासन सचिव

प्रारूप A

क्र.सं.	विभाग (लोक प्राधिकरण) का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी की संख्या (पदनाम/दूरभाष संख्या व ई-मेल पता प्रपत्र B के अनुसार)	प्रथम अपीलीय अधिकारी की संख्या (पदनाम/दूरभाष संख्या व ई-मेल पता प्रपत्र B के अनुसार)	विभागीय स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी का पदनाम, जन्मदिनांक, मोबाईल नं., ई-मेल पता एवं SSO ID	विशेष विवरण

प्रारूप B

S No.	Office Name (English)	Office Name (Hindi)	Title	Officer Name (English)	Officer Name (Hindi)	Date of Birth	Designation	Role	Email ID	Office Address (English)	Office Address (Hindi)	Mobile No.	SSO ID